FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2025/358

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

शारदा जाटी V/S कैलाशी वगैरह R/o कांस की भौंतरी

किस्म मुकदमा 212 R.T. Act नं. 163/(प्राथमिक) सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/6/25	यह प्रार्थना पत्र सरिस्ता रिपोर्ट के बाद वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। पत्रादि का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के हक में है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में बनता है। प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 74 के खसरा संख्या 5261, 5262, 5263, 5264, 5265 कुल किता 5 कुल रकबा 2.3958 हैक्टेयर वाके ग्राम बालोला प0म0 अमरत्या में निहित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के हिस्से की हद तक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, कृषि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नही करें व मौके पर शांतिभंग नहीं करे। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करें। प्रार्थीया आगामी दिनांक को अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज व आदेश की प्रति तामीत का शपथ पत्र ओदश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 के तहत आवश्यक रूप से पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांकः–06.08.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	जारी किया 616 3-7-25
6/8/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 17/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/9/25	पत्रावली पेश। प्रार्थीया ने प्रा० पत्र पेश कर प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
	वाद विक्री किये जाने की अनुमति का निवेदन किया गया। अत: प्रा० पत्र प्रार्थीयाँ स्वीकार किया जाकर प्रकरण विक्री करने की अनुमति दी जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	सॉ० 8/2/24

उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा